इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 6 | जनवरी, 2026 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

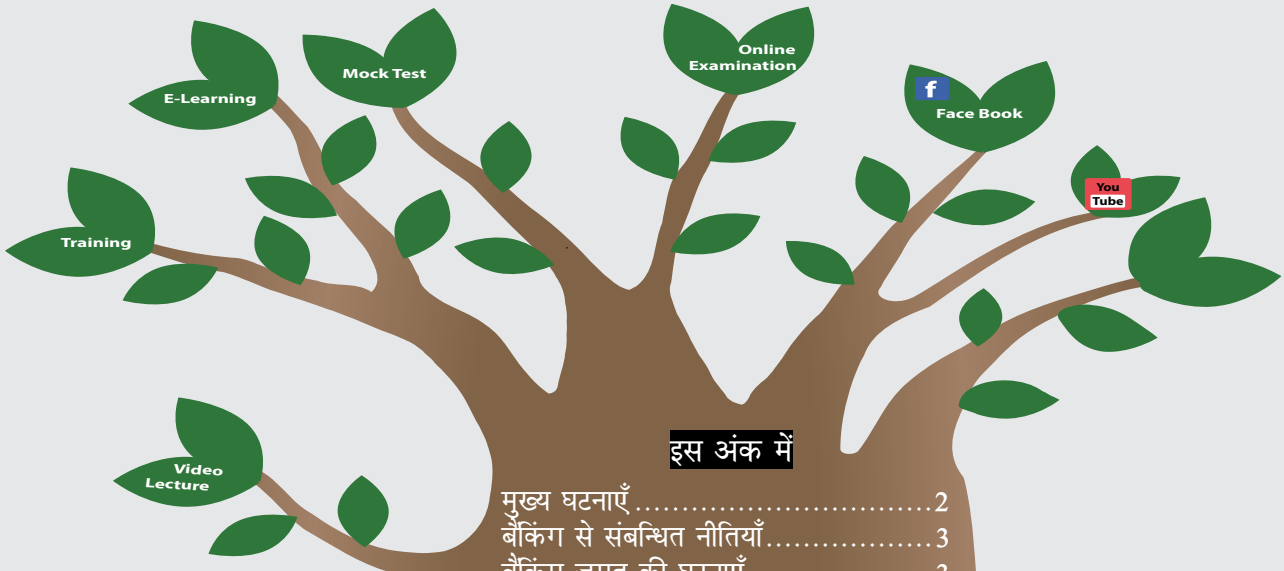

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
पूंजी बाजार.....4
बीमा.....4
विनियामक के कथन.....5
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्तियाँ.....5
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....8
नयी पहलकदमी.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की दिसंबर 2025 में हुई बैठक की मुख्य बातें:

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3-5 दिसंबर 2025 को हुई बैठक की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रेपो दर घटा कर 5.25% कर दिया गया है।
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.00% नियत की गई है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.50% नियत की गई है।

सीआरआर तथा एसएलआर आवश्यकताओं में कमी पर दंड ब्याज तथा प्राथमिक डीलरों हेतु स्थायी चलनिधि सुविधा

नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) आवश्यकताओं (जो विशिष्टत: बैंक दर से सम्बद्ध हैं) में कमी पर सभी दंड ब्याज संशोधित कर बैंक दर +3.0 प्रतिशत बिंदु (8.50) अथवा बैंक दर +5.0 प्रतिशत बिंदु (10.50) किए गए हैं। प्राथमिक डीलरों को प्रदान स्थायी चलनिधि सुविधा (संपार्श्विकृत चलनिधि सहायता) तुरंत प्रभाव से 5.25% की संशोधित रेपो दर पर उपलब्ध रहेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'पखवारे' की परिभाषा में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीआरआर तथा एसएलआर बनाए रखने संबंधी बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 को संशोधित किया है। संशोधन के अनुसार, 'पखवारे' की परिभाषा 'शनिवार से द्वितीय आगामी शुक्रवार, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं' से बदल कर 'प्रत्येक कलेंडर माह के प्रथम से पंद्रहवें दिन अथवा प्रत्येक कलेंडर माह के सोलहवें दिन से माह के अंतिम दिन तक की अवधि, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं' कर दी गई है। पखवारे की वर्णित परिभाषा लागू होने की तिथि 15 दिसंबर 2025 है।

वित्तीय सेवाओं के उपक्रम हेतु मानकों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

वाणिज्यिक बैंकों, एसएफबी, पीबी, एनबीएफसी तथा गैर-परिचालित वित्तीय धारक कंपनियों के लिए वित्तीय सेवाओं के उपक्रम हेतु दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन किया गया है। 5 दिसंबर 2025 से प्रभावी इन निदेशों में कहा गया है कि वाणिज्यिक बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंड व्यवसाय, बीमा व्यवसाय, पेंशन निधि प्रबंधन, निवेश परामर्श एवं प्रबंधन सेवाएँ, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ तथा ब्रोकिंग सेवाएँ समूह निकाय के जरिए दी जाएंगी – न कि विभागीय तौर पर। साथ ही, एक बैंक समूह द्वारा किसी निकाय की इक्विटी शेयर पूंजी में, 20% से कम का कुल निवेश (बैंक द्वारा निवेश के साथ या बगैर) पूर्व अनुमोदन के बगैर किया जा सकता है। तथापि, यह इस शर्त के अधीन होगा कि निवेशोपरांत, बैंक की पूंजी से जोखिम-भारित अस्ति अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम निर्धारित पूंजी (पूंजी कंजेर्वेशन बफर को शामिल कर) से कम न हो तथा बैंक ने पूर्ववर्ती दो वित्त वर्षों में निवल लाभ दर्शाया हो।

एनआरआई तथा ओसीआई हेतु केवाईसी/एएमल/सीएफटी नियमों में पीएफआरडीए द्वारा संशोधन

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) तथा भारत के ओवरसीज नागरिकों (ओसीआई) की राष्ट्रीय पेंशन योजना में ऑनबोर्डिंग हेतु अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया आवश्यकताओं में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, एनआरआई तथा ओसीआई की कुछ शर्तों यथा लाइव फोटोग्राफ, आधिकारिक वैध दस्तावेज़ की डिजिटल प्रति तथा अभिदाता के दर्ज स्थान के जियो-कोआर्डिनेट्स के साथ डिजिटल ऑनबोर्डिंग की जा सकती है। अभिदान राशि सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिए आवक विप्रेषण द्वारा अथवा उनके अपने अनिवासी विदेशी (एनआरई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)/अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते में रखी निधियों से भुगतान की जाएगी।

पीएफआरडीए के नीतिगत सुधार

पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की संधारणीय वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कई उपाय लागू किए हैं। ये हैं: एनपीएस के प्रबंधन हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को स्वतंत्र रूप से पेंशन निधि स्थापित करने का सैद्धांतिक अनुमोदन; एनपीएस न्यास और

न्यासियों के बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति; पेंशन निधियों हेतु निवेश प्रबंधन शुल्क में 1 अप्रैल 2026 से संशोधन; पीएफआरडीए (एनपीएस अंतर्गत निकासी और आहरण) विनियम, 2015 में संशोधन; अभिदाताओं को सामान्य निकासी विधि के तहत 80% तक एकमुश्त निकासी की अनुमति।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वर्ण धातु ऋण निदेशों में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों हेतु स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) निदेशों को संशोधित किया है। तदनुसार, स्वर्ण आयात करने वाले निर्दिष्ट बैंक आयात संबद्ध जीएमएल उन निकायों को दे सकते हैं जो घरेलू और/या निर्यात बाज़ारों में आभूषण बनाते और/या बेचते हैं (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से 'ज्वेलर' कहा जाएगा)। ज्वेलर, जो खुद निर्माता नहीं हैं, जीएमएल के अंतर्गत उधार किसी निर्माता फर्म/शिल्पकार/सुनार को जॉब आधार पर अपने आभूषणों के निर्माण की आउटसोर्सिंग मात्र हेतु ले सकते हैं। बैंक जीएमएल ऋणियों की ऋण ज़रूरतों, उनके लिए विस्तृत समुचित सावधानी आवश्यकताओं सहित कर्ज व जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित करेंगे।

ऋण मांग में वृद्धि को देखते हुए स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मानकों में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि एकल प्रतिपक्षकार, अंत:संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूहों तथा अर्थव्यवस्था के खास क्षेत्रों को उनके एक्सपोजर के संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन पर नीतियाँ बना कर रखें। अत्यधिक बड़े ऋणियों, जिन पर बहुत ज्यादा बोझ है तथा जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से काफी उधार ले रखा है, को बैंकों द्वारा एक्सपोजर से, बैंकों को उत्पन्न जोखिमों की निगरानी और समाधान हेतु प्रणालियाँ निर्मित करनी हैं।

ग्रामीण सहकारी बैंक अपना नाम, प्रकृति प्रमुखता से अनिवार्यत: प्रदर्शित करें: भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए उनकी किसी लेखनसामग्री, प्रचार सामग्री, वेबसाइट, मोबाइल अप्लिकेशन, विज्ञापन, नाम पट्ट आदि में अपना पूरा नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य है। नाम अनिवार्यत: वही हो जैसा सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान बैंकिंग लाइसेंस में है। बैंक की प्रकृति दर्शाते हुए शब्द 'को-आपरेटिव/सहकारी बैंक' भी बैंक के पूरे नाम/संक्षेपाक्षर/लघु नाम/लोगों में समान फांट में प्रमुखता से जरूर प्रदर्शित किए जाएँ। इस संशोधन का उल्लंघन करने पर अथवा अनुपालन न करने पर दंड व प्रवर्तन कार्यवाही लागू होगी।

अपने ग्राहक को जानें निदेश, 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

संशोधित निदेशों में कहा गया है कि वे विनियमित संस्थाएं जिन्होंने ग्राहक के केवाईसी अभिलेख, केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) में पिछली बार अपलोड अथवा अद्यतन किए थे, ग्राहक की पहचान और/या पते, जैसा लागू हो, के सत्यापन हेतु जिम्मेदार नहीं होंगे। तदनुसार, सीकेवाईसीआर से ऐसा अभिलेख डाऊनलोड करने और इस पर भरोसा करने वाले किसी बैंक के लिए ग्राहक की पहचान और/या पते की प्रामाणिकता का पुनर्सत्यापन करना आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते कि सीकेवाईसीआर से डाऊनलोड किए गए केवाईसी अभिलेख अद्यतन हों तथा धनशोधन (पीएमएल) अधिनियम, 2002/पीएमएल नियम, 2005 के अनुपालन में हों।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बीएसबीडी खातों हेतु मानकों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

समस्त वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों में बेसिक बचत बैंक खाते न्यूनतम जमाशेष की किसी आवश्यकता के बगैर खोले जाएंगे। एटीएम/एटीएम-सह-डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग या चेक बुक सुविधा ग्राहक को इसका अनुरोध करने पर दी जाएगी, चाहे यह अनुरोध खाता खोलते समय किया जाए या बाद में। बीएसबीडी खाते में न्यूनतम बेसिक सुविधाओं के ऊपर अतिरिक्त सुविधाएं ग्राहक को प्रभार सहित या रहित दी जा सकती हैं और ये बिना भेदभाव के, पक्षपात के बगैर तथा ग्राहक को पारदर्शी प्रकटन के साथ दी जाएंगी। बीएसबीडी खाते का खोलना और संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवाईसी पर जारी और समय-समय पर संशोधित अनुदेशों/धनशोधन निवारण मानकों के अधीन होगा। जब कोई ग्राहक जमा खाता खोलने के लिए बैंक के पास आता है तो बैंक उन्हें बीएसबीडी खाते तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य बचत बैंक खाता प्रकारों के बीच अंतर की जानकारी देगा।

ऋण संस्थाओं को सूचना रिपोर्टें जल्दी मिला करेंगी

ऋण सूचना रिपोर्टिंग (सीआईआर) प्रणाली के दक्ष संचालन के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुदेश दिए हैं कि ऋण संस्थाएं (सीआई) ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना माह की 9वीं, 16वीं, 23वीं तथा अंतिम तारीख (संदर्भ तारीखें) को प्रस्तुत किया करेंगी। माह की अंतिम तिथि की स्थिति अनुसार सीआईआर की पूरी फाईल सीआईसी को आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा सुविधाओं के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (करेंसी का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2025 में संशोधन किया है। तदनुसार, कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान या बांग्ला देश का नागरिक न हो, भारत सरकार के करेंसी नोट तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी मामले में 100 रुपए से ऊपर के मूल्यवर्ग से इतर नोट) भारत से बाहर नेपाल या भूटान ले जा सकता या भेज सकता है; बशर्ते कि भारत से नेपाल या भूटान की यात्रा कर रहा व्यक्ति 100 रुपए से ऊपर के मूल्य वर्ग के नोट 25,000 रुपए की कुल सीमा तक ले जा सकता है और नेपाल या भूटान से भारत की यात्रा कर रहा व्यक्ति 100 रुपए से ऊपर के मूल्य वर्ग के नोट 25,000 रुपए की कुल सीमा तक ले जा सकता है।

निवासी, अनिवासी रुपए में ब्याज दर डेरिवेटिव का सौदा कर सकते हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवासियों तथा अनिवासियों को ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) में रुपए में संव्यवहार करने की अनुमति दे दी है। अनिवासी ये संव्यवहार अपनी केंद्रीय ट्रेजरी या समूह निकाय के जरिए कर सकते हैं। एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) को शर्तों के अधीन ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ) खरीदने या बेचने की अनुमति है। एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कोई मानकीकृत आईआरडी उत्पाद बेच सकता है तथा उत्पाद डिजाइन, पात्र भागीदार तथा आईआरडी उत्पाद के अन्य विवरणों को अंतिम रूप एक्सचेंज द्वारा दिया जा सकता है। एक्सचेंज व्यापारित उत्पादों में प्रयुक्त चल दरें या सूचकांक अनिवार्यत: एक अधिकृत वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक द्वारा प्रकाशित बेंचमार्क होने चाहिए।

नकद उधार, चालू तथा अधिविकर्ष खाते रखने हेतु मानकों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

जिस ग्राहक का बैंकिंग तंत्र से कुल एक्सपोजर 10 करोड़ रुपए से कम है, उन ऋणियों के मामलों में बैंक बिना किसी प्रतिबंध के चालू खाता या अधिविकर्ष खाता रख सकता है। बैंकिंग तंत्र से 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले ग्राहकों के मामले में बैंक ग्राहक की आवश्यकतानुसार चालू खाता और अधिविकर्ष खाता रख सकता है, बशर्ते कि ऋणी को बैंकिंग तंत्र के एक्सपोजर में या तो बैंक का न्यूनतम 10% हिस्सा हो या ऋणी को बैंकिंग तंत्र के कुल निधि आधारित एक्सपोजर का न्यूनतम 10% हिस्सा हो। ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

पूंजी बाजार

निवेश करना आसान बनाने और व्यवसाय करना आसान बनाने हेतु उपाय - बीएसडीए हेतु सुविधाओं में वृद्धि

डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के लिए व्यवसाय करना आसान बनाने तथा निवेशकों हेतु निवेश करना आसान बनाने के लिए सेबी ने बेसिक सेवा डिमेट खातों (बीएसडीए) हेतु प्रारम्भिक सीमा की गणना के लिए शून्य कूपन शून्य प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) बांड तथा गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को हटा देने का फैसला किया है। अतरल प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बीएसडीए की न्यूनतम सीमा की गणना हेतु अंतिम बंद मूल्य पर होगा; तथा डीपी से अब अपेक्षित होगा कि प्रत्येक तिमाही में बीएसडीए पात्रता का पुनर्निर्धारण करें। डीपी की हितार्थी स्वामी से यह अपेक्षा होगी कि डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित, सत्यापनीय माध्यम से सक्रिय सहमति द्वारा नियमित डिमेट खाते की सुविधा लेने/जारी रखने हेतु सहमतिपत्र प्रस्तुत करें।

बीमा

सबका बीमा सबकी सुरक्षा (बीमा विधि संशोधन) बिल, 2025 संसद द्वारा पारित

सबका बीमा सबकी सुरक्षा (बीमा विधि संशोधन) बिल, 2025 संसद द्वारा 17 दिसंबर 2025 को पारित कर दिया गया। बिल बीमा क्षेत्र से संबंधित तीन अधिनियमों, नामत: बीमा अधिनियम, 1938; भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 को संशोधित करता है। बिल ने बीमा कंपनियों में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।

विनियामक के कथन

भारत को स्टेबलकॉइन के प्रति अत्यधिक सावधानी का नज़रिया ही अपनाना चाहिए: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

मिंट वार्षिक बीएफएसआई कनक्लेव 2025 में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी रबि शंकर ने कहा कि एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की मुद्रा होती है, नामत: करेंसी तथा बैंक जमाराशि। भौतिक करेंसी सीधे सरकार द्वारा (इसके केंद्रीय बैंक के जरिए) जारी की जाती है जबकि डिजिटल जमाराशियाँ लाइसेन्स के तहत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की जाती हैं। तथापि, इतिहास में करेंसी का अधिक स्थायी स्वरूप सदैव संप्रभु देशों द्वारा जारी किया गया है, निजी निर्गमकों द्वारा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि स्टेबलकॉइन में मुद्रा की प्रारम्भिक पहचान यथा एकलता, सपाट संरचना तथा विश्वसनीय मूल्य का अभाव है। वास्तव में वे कीमतों में उतार-चढ़ाव को जन्म दे सकते हैं तथा करेंसी और वित्त प्रणाली में भरोसा गिरा सकते हैं। भारत को स्टेबलकॉइन के प्रति अत्यधिक सावधानी का नज़रिया रखना चाहिए।

आर्थिक संवेष्टन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृति और प्रगति पर रिपोर्ट 2024-25 तथा वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट 2025 जारी किया है। इनकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- द्वि-अंकीय तुलनपत्र वृद्धि के बल पर भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र 2024-25 के दौरान आघात सह्य रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों तथा ऋण में द्वि-अंकीय वृद्धि देखी गई जो अलबत्ता पूर्ववर्ती वर्ष में वृद्धि से थोड़ी कम रही।
- मार्च 2025 के आखिर में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात 17.4% तथा सितंबर 2025 के आखिर में 17.2% रहा। सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2025 के आखिर में कई दशकों के न्यूनतम 2.2% और सितंबर 2025 के आखिर में 2.1% होने के साथ आस्ति गुणवत्ता और मजबूत हुई।
- मजबूत पूंजी व चलनिधि बफर, बेहतर आस्ति गुणवत्ता एवं जबर्दस्त मुनाफे के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का स्वास्थ्य अच्छा है। 2024-25 में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 1.4% तथा इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 13.5% रहा।
- शहरी सहकारी बैंकों के समेकित तुलन पत्र में 2024-25 में इसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। उनकी आस्ति गुणवत्ता में लगातार चौथे साल सुधार हुआ है जिसके साथ उनका पूंजी बफर और लाभ भी बढ़ा है।
- मजबूत पूंजी बफर तथा ठोस आय के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। वर्ष के दौरान उनकी आस्ति गुणवत्ता भी बेहतर हुई।
- चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक हालातों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, अल्प मुद्रास्फीति तथा विवेकपूर्ण माइक्रोइकोनामिक नीतियों के साथ मजबूती से बढ़ रही है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री रवि रंजन	प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
सुश्री मालविका आर. हरिता	स्वतंत्र निदेशक, अक्सिस बैंक
सुश्री सुजाता जगन्नाथन	भारतीय रिज़र्व बैंक अतिरिक निदेशक, धनलक्ष्मी बैंक
श्री जी. शंकरन	प्रमुख, थोक बैंकिंग समूह, इंडसइंड बैंक
श्री संदीप प्रधान	पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
श्री विक्रम साहू	भारत देश मेन कार्यपालक, बैंक ऑफ अमेरिका एनए

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार		
मद	यथा 26 दिसंबर, 2025	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6258848	696610
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5027961	559612
1.2 स्वर्ण	1018151	113320
1.3 एसडीआर	168943	18803
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	43793	4875

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

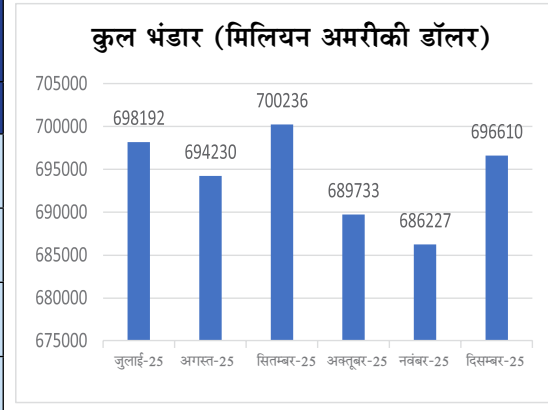

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 31 दिसंबर 2025 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, जनवरी 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.77
SONIA (जीबीपी)	3.7251
STR (यूरो)	1.934
TONA (जापानी येन)	0.728
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.3000
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.60
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.038812

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.649
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.2221
HONIA (हांगकांग डॉलर)	3.86962
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5390

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

ब्याज दर डेरिवेटिव

ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) एक डेरिवेटिव संविदा है जिसका मूल्य एक या अधिक रुपया ब्याज दरों, रुपया ब्याज दर लिखतों की कीमतों, अथवा रुपया ब्याज दर सूचकांकों से निकलता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

आधार बिंदु का कीमत मान

आधार बिंदु का कीमत मान (पीवीबीपी) ब्याज दरों के प्रति बांड कीमतों की संवेदनशीलता की माप करता है। यह दर्शाता है कि यदि प्रतिफल एक आधार बिंदु या 0.01% बढ़े तो बांड की कीमत में संभावित परिवर्तन कितना होगा। उच्चतर पीवीबीपी ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति बांड कीमत में अधिक संवेदनशीलता का परिचायक है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी 2026 माह में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
स्वच्छ बैंकिंग: बैंकों/एनबीएफसी/एफआई/एसएफबी के लिए केवाईसी/एएमएल/सीएफटी और टीबीएमएल आवश्यकताओं पर कार्यक्रम	12 जनवरी, 2026	वर्चुअल
बैंकों/एनबीएफसी/एफआई/एसएफबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	13-14 जनवरी, 2026	वर्चुअल
एमएसएमई वित्तपोषण: मूल्यांकन, निगरानी और वसूली पर कार्यक्रम	14-15 जनवरी, 2026	वर्चुअल
वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, आरआरबी, एनबीएफसी, एआईएफआई के अधिकारियों हेतु धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	15-16 जनवरी, 2026	वर्चुअल
जमा संग्रहण हेतु विपणन रणनीतियों पर कार्यक्रम	20 जनवरी, 2026	वर्चुअल
बैंकों/एनबीएफसी/एफआई/एसएफबी हेतु प्रौद्योगिकी चालित व्यवसाय वृद्धि रणनीतियों पर कार्यक्रम	22-23 जनवरी, 2026	पीडीसी दक्षिण जोन, चेन्नई
तुलन पत्र अध्ययन तथा अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	28-29 जनवरी, 2026	वर्चुअल
ऋण निगरानी और वसूली पर कार्यक्रम	28-30 जनवरी, 2026	वर्चुअल

संस्थान समाचार

15वां आर. के. तलवार स्मृति व्याख्यान

भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर 15वें आर. के. तलवार स्मृति व्याख्यान का आयोजन 16 जनवरी 2026 को एसबीआई सभागार, नरीमन पॉइंट में किया जाएगा। व्याख्यान नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री बी. वी. आर. सुब्रमण्यम, देंगे।

अंतर बैंक क्विज प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य का 5वां संस्करण

आईआईबीएफ की मेजबानी में अंतर बैंक क्विज प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य 2025 के महा फाइनल का आयोजन 17 जनवरी 2026 को मुंबई में किया जाएगा। इस क्विज प्रतियोगिता में राष्ट्रीय चैंपियन टीमों के लिए एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार है।

आईआईबीएफ द्वारा माइक्रो, मैक्रो रिसर्च तथा डायमंड जुबिली और सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (डीजेसीएचबीबीओआरएफ) 2025-26 अंतर्गत पेपर/प्रस्ताव आमंत्रित

माइक्रो रिसर्च संस्थान के आजीवन सदस्यों (बैंकरों) हेतु एक प्रकार की निबंध प्रतियोगिता होती है जिसमें उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों पर

अपने मौलिक विचार, सोच तथा सर्वोत्तम प्रथाएँ प्रस्तुत करनी होती हैं। मैक्रो रिसर्च के तहत संस्थान अनुभवसिद्ध शोध को प्रोत्साहित करता है जिसमें शोधकर्ता अपनी परिकल्पना को डेटा (प्राथमिक/द्वितीयक) के जरिए जांच सकें और जिससे पूरे उद्योग (बैंकिंग और वित्त) हेतु सबक हासिल हों। डीजेसीएचबीबीओआरएफ का उद्देश्य चुने गए अभ्यर्थी को भारत या विदेश में बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर शोध अध्ययन करने का अवसर देना है। माइक्रो, मैक्रो रिसर्च तथा डीजेसीएचबीबीओआरएफ के अंतर्गत आवेदन 28 फरवरी 2026 तक लिए जाएंगे। अधिक विवरण www.iibf.org.in पर देखें।

आगामी अंक हेतु बैंक क्वेस्ट का विषय

जनवरी-मार्च 2026 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय है- 'भुगतान प्रणालियों की नई राहें'। उप-विषय हैं-यूपीआई; यूएलआई; सीबीडीसी-चुनौतियाँ, अवसर तथा संभावनाएं; साइबर सुरक्षा।

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की एक प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक (कों) द्वारा जारी निशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी से खुद को अवगत रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से परीक्षाओं की वास्तविक तिथि तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि:

(i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

बाजार की खबरें

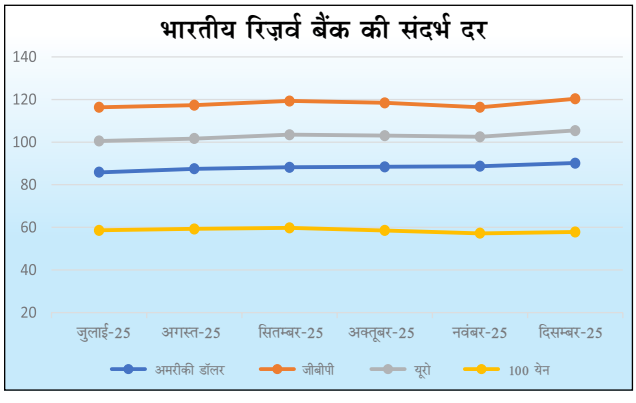

स्रोत: एफबीआईएल

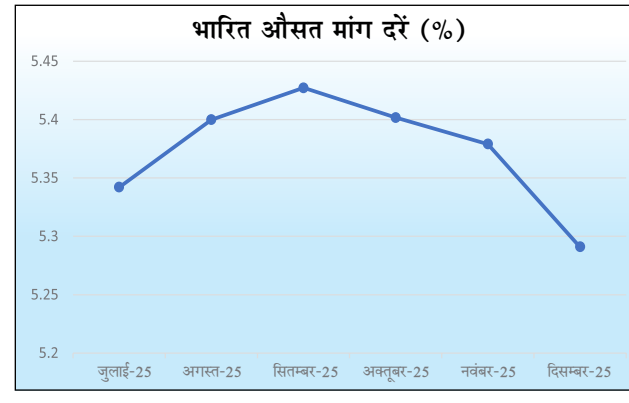

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

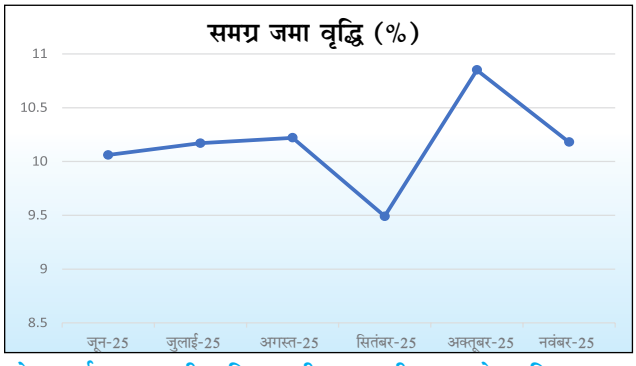

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसंबर 2025

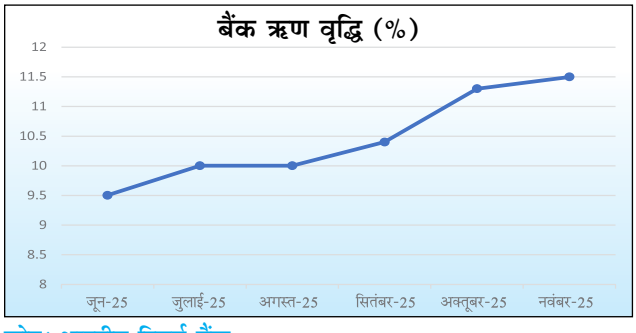

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

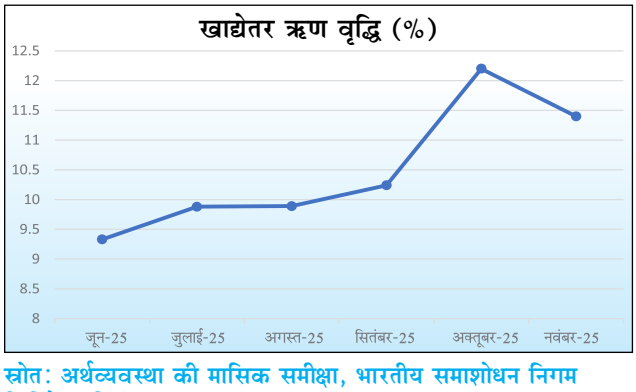

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसंबर 2025

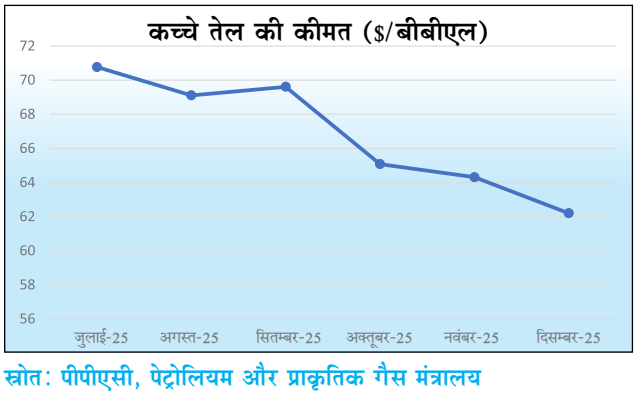

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

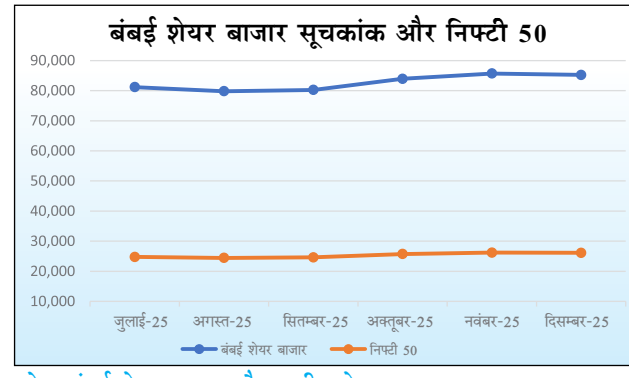

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

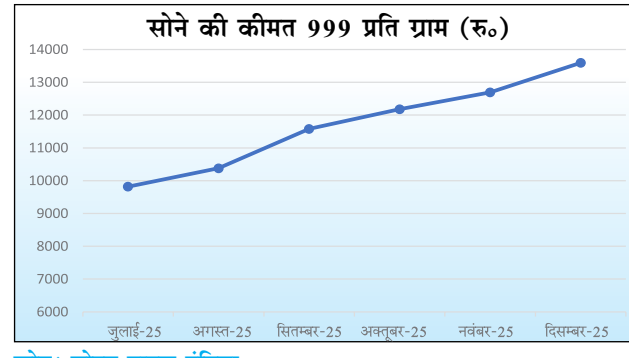

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in